


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

..... बनावत .....  
 हीराराम ..... तहसीलदार धोद  
 किस्म मुकदमा ..... मु.नं. 560 वर्ष 2025  
 1362R

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/1/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/2286 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरुस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम माण्डोली पटवार हल्का मोरडुंगा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 219 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि हरिराम पुत्र सुरजा दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि हीरा राम पुत्र सूरजा राम है। अर्थात् प्रार्थी का सही नाम हीरा राम पुत्र सूरजा राम है। प्रार्थी के नाम से बने सभी दस्तावेजात में प्रार्थी के नाम हीरा राम पुत्र सूरजा राम अंकित है, जो की सही है। अतः उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि हरिराम पुत्र सुरजा के स्थान पर हीरा राम पुत्र सूरजा राम दुरुस्त किया जावे।"</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है।</p> <p>अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/2286 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डोली पटवार हल्का मोरडुंगा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 219 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि हरिराम पुत्र सुरजा के स्थान पर हीरा राम पुत्र सूरजा राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद की दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी,              धोद जिला सीकर              उपखण्ड अधिकारी              धोद जिला-सीकर         </p>

